

पुरसाही क नाम राज. सरकार

मुकदमा नं० २३/१९ निर्णय दि० २०१५

२०/११

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उप. पैरोकार सरकार उपर
पैरोकार सरकार द्वारा दावा
डुरुस्ती करने का निवेदन किया

क. नं०
१५१
पैरोकार

वकील वादी व पैरोकार सरकार
की बटल सुनी गयी। पत्रावली
का अपलोडन किया। बटल का
मनन किया। प्रार्थी द्वारा पेश
दस्तावेजों पर आधार पर प्रार्थी
का नाम डुरुस्ती किया जाना उचित
होता है।

उक्त प्रार्थी का प्रथम पेश
वकील का किया जाता है। विवाहित
जमाबंदी सम्वत २०७०-७३ से २०७५-७७
में वकील एका इटका तहसील सिकराय
जिला-दौसा में दर्ज पुराहीवाल के

स्थान पर पुराहीवाल दर्ज करने
के आदेश तहसीलदार सिकराय को
दिए जाते हैं। तहसीलदार सिकराय
को तहसीलदार के निर्णय पेशे द्वारा
विवाहा जकर फुले सायबलप में
सुनाया गया।

अ. उपरोक्त अधिकारी
सिकराय जिला

